बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

3/सी0 एस0एम0/विविध–06/2016 275 पटना–15 दिनांक 18/05/2016

विषयः–बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली –2006 के कंडिका–14 के उप कंडिका–(ख) के बाद एक नई उप कंडिका जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

माननीय मंत्रियों को सरकारी कार्य हेतु विदेश जाने के लिए प्रावधान हैं, परन्तु राज्य हित में विदेश स्थित ख्यातिप्राप्त संस्थान/संस्थानों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शोध–पत्र प्रस्तुत करने एवं व्याख्यान देने निमित विदेश यात्रा के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कठिनाईयाँ थी।

02. अतः बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली–2006 की कंडिका–14 की उप कंडिका–(ख) के बाद एक नई उप कंडिका–(ग) निम्नरूप से जोड़ा जाता है, जो निम्नवत् है :–

"राज्यहित में विदेश स्थित ख्यातिप्राप्त संस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शोध–पत्र प्रस्तुत करने एवं/अथवा व्याख्यान देने के निमित विदेश जाने की स्थिति में वही सुविधाएँ अनुमान्य होंगी जो 14 (ख) में पूर्व से प्रावधानित है।"

03. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/5/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 3/सी0 एस0एम0/विविध–06/2016 275 पटना–15 दिनांक 18/05/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 3/सी0 एस0एम0/विविध–06/2016 275 पटना–15 दिनांक 18/05/2016

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन/मंत्रिपरिषद् लेखा (पाँच प्रतियों में)/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 3/सी0 एस0एम0/विविध–06/2016 275 पटना–15 दिनांक 18/05/2016

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/5/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव।